

अध्याय V

आंतरिक नियंत्रण व निगरानी

5.1 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

आंतरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन तंत्र है और इसमें नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने और जांचने सहित अपने कारोबार के सुचारू और प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करने के प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाये गए तरीके और प्रणालियां शामिल होती हैं। एक अच्छा निगरानी तंत्र निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक प्राधिकारी को समय पर, उचित और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है।

नीचे दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किये गये थे:

- क. लेखापरीक्षा समिति में पांच सदस्य अर्थात् चार स्वतंत्र निदेशक और एक निदेशक (तकनीकी) सदस्य के रूप में थे। अन्य कार्यकारी निदेशक आवश्यकता आधार पर आमंत्रित किये गये थे। लेखापरीक्षा समिति का कार्य कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण, बोर्ड को प्रस्तुतीकरण से पहले वित्तीय विवरणों के अनुमोदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के कार्य की समीक्षा और निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षकों के द्वारा निवेशों की संवीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन, किसी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षक निष्कर्षों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षकों पर विचार विमर्श करना था।
- ख. संयुक्त सचिव, निदेशक (तकनीकी) और दो स्वतंत्र निदेशकों वाली उप-समिति को सभी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करनी होती है। समिति का अधिदेश सभी चल रही परियोजनाओं जैसे केआईओपी, एनआईएसपी, पैलेट संयंत्र आदि की समीक्षा करना है।
- ग. कम्पनी ने खरीद, मानव संसाधन, ठेकों, निर्माण कार्यों और बिक्री आदि के लिए मैनुअल तैयार किये थे।
- घ. मुख्यालय और इकाइयों दोनों को कवर करते हुए कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों की फर्मों को आउटसोर्स किया था जिसमें लेन देन लेखापरीक्षा के साथ-साथ कम्पनी की विभिन्न इकाइयों में अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं

की लेखापरीक्षा को कवर किया गया था। उच्च और मध्यम जोखिम आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।

यद्यपि जैसा कि ऊपर बताया गया है नियंत्रण तंत्र की प्रणाली मौजूद थी, यह देखा गया कि:

- (i) चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए उप-समिति ने प्राप्त करने हेतु स्पष्ट लक्ष्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जिसकी समीक्षा अनुवर्ती बैठक में की जा सके। यद्यपि यह देखा गया था कि चालू परियोजनाओं के संबंध में बताये गये अवरोधों पर मोटे तौर पर कुछ उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी, उप-समिति द्वारा निगरानी ने मात्रात्मक रूप में इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुई प्रगति को नहीं दर्शाया। इसके अतिरिक्त उप-समिति को स्क्रीनिंग प्लांट-II, स्क्रीनिंग प्लांट -III और डिपोजिट-13 के लिए सांविधिक मंजूरी, जो कि लंबी अवधि से लंबित थी, को प्राप्त करने में हो रहे विलंब के बारे में उचित जानकारी नहीं दी गई और इसलिए इन विलंबों पर उप-समिति कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप बोर्ड भी इस संबंध में हो रही कार्रवाहियों के प्रति सचेत नहीं था।
- (ii) 11बी खान और केआईओएम परियोजना कार्यों के अप्रैल 2012 तक की निर्धारित पूर्णता तिथियों को पार करने के बावजूद कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। मुख्य पैकेजों अर्थात् 11बी खान के संबंध में क्रशिंग प्लांट और डाऊनहिल कनवेयर सिस्टम पैकेज की पूर्णता (अगस्त 2015) के बाद भी, शेष पैकेजों का पूरा न होना बोर्ड स्तरीय उप-समिति की उचित निगरानी की कमी को दर्शाता है।
- (iii) स्क्रीनिंग प्लांट-II के लिए अपेक्षित सूचना के प्रस्तुतीकरण में कम्पनी की ओर से विलंब पर बोर्ड उप-समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- (iv) बड़े निवेश जैसे ओडिशा में विवादित लौह अयस्क खान (एनआईएनएल) के अधिग्रहण हेतु ₹100.60 करोड़, आईसीवीएल में ₹376.36 करोड़ से अधिक निवेश, पर प्रबंधन द्वारा स्वयं यथोचित परिश्रम किये बिना निर्णय लिए गए। जब प्रबंधन ने ऐसे निवेशों में जोखिम को पाया तो ये मामले बाद में सलाहकार समिति को संदर्भित किये गये थे।
- (v) इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण के समय पर (जुलाई 2010 से पहले) हानि उठाने वाली स्पंज आयरन यूनिट (एसआईयू) पलोंचा को लाभ अर्जित करने वाली इकाई के रूप में प्रतिवर्तित करने के लिए लिये गये निर्णय/सलाह अब तक भी लागू नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप, अधिग्रहण के समय पर अनुमानित परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं

किये गये और एसआईयू लगातार हानि में चल रही थी जो कि 31 मार्च 2017 तक ₹194.77 करोड़ तक हो चुकी थी।

- (vi) प्रबंधन ने अनुवर्ती निविदाओं के लिए पूर्व योग्यता मानदंड को निश्चित करने से पहले बीइएमएल द्वारा निर्मित डंपर्स के निष्पादन के बारे में उपभोक्ता विभाग का फीडबैक प्राप्त नहीं किया, और उनकी खरीद करती रही। इसके परिणामस्वरूप खराब प्रदर्शनकारी उपस्कर की खरीद हुई जिसकी उपलब्धता प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान खरीद के लिए निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट 85 प्रतिशत से कम थी।
- (vii) जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, नीतिगत प्रबंधन योजना - विज़न 2025 के कार्यान्वयन की आवधिक अर्ध-अवधि समीक्षा नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति को रोकने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- (viii) सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में की गयी सिफरिश सं 2 संदर्भित है, जिसमें यह सिफरिश की गई थी कि कम्पनी को अपनी परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करके अपनी परियोजना प्रबंधन योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है। कम्पनी को सभी परियोजना गतिविधियों के लिए समयावधि और लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने और सतत निगरानी और उचित उपचारात्मक कार्रवाई द्वारा उनका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह भी सिफरिश की गई थी कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड को चालू परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए और जहां पर भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि परिकल्पित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। यद्यपि कम्पनी ने सिफरिश स्वीकार की, चालू परियोजनाओं के संबंध में पूर्ण करने के लिए लक्षित कार्य, पूर्ण हो चुके कार्य, विलंब के कारण, व बैठक के बाद पूरे किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य को दर्शाते हुए विशिष्ट लक्ष्य और समय अवधि, 17 समीक्षा बैठकों, जो कि अप्रैल 2012 और दिसंबर 2017 के बीच अवधि के दौरान हुई थी, में निर्धारित नहीं किए गए।

कम्पनी ने दावा किया (मार्च 2018) कि एनएमडीसी में आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था और विभिन्न चालू परियोजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल द्वारा एक उप-समिति गठित की गई थी और उपरोक्त उप-समिति के कार्यवृत्त नियमित अंतराल पर बोर्ड की सूचना के लिए पेश किये जाते हैं।

यद्यपि हमने पाया कि चालू परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उप-समिति के गठन के बावजूद लगभग सभी परियोजनाएं उप-समिति द्वारा प्रभावी निगरानी और उचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण विलंबित होती हैं।

प्रबंधन के उत्तर के अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि 2012-13 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 20 की सिफारिश सं. 2 का निपटान परियोजनाओं के निगरानी और तीव्र कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदमों को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2015 में कर दिया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि 2012-13 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 20 की सिफारिश सं. 2 के संबंध में पैरा को कंपनी द्वारा 11बी परियोजना, केआईओएम परियोजना और डोनीमलाई पैलेट प्लांट के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यों के साथ समय सीमाओं की प्रस्तुती के आधार पर इस शर्त पर आगे जारी न रखने का निर्णय लिया गया था कि उक्त पर ध्यान दिया जाएगा और अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में सत्यापन किया जाएगा। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने की उप-समिति ने 11बी खदान, केआईओएम परियोजना तथा पेलेट संयंत्र के विकास के संदर्भ में समय सीमाओं, समय सीमाओं के संशोधन तथा इसकी प्राप्ति की मॉनीटरिंग के साथ कोई माइलस्टोन निर्धारित नहीं किया, यद्यपि इन परियोजनाओं के समापन में विलम्ब था।